पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अभिषेक सिंह एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2016 का आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 620

[के साथ 2016 का आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 562, 2016 का आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 611]

21 नवंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमन)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 38/12 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 82/2012 (सीआईएस संख्या 47/15) में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V, बक्सर द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का फैसला सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302, 307, 326—शस्त्र अधिनियम, 1959—धारा 27—तिहरा हत्याकांड—आरोपी/अपीलकर्ता सूचक के घर और घर के दरवाजे पर आए और आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी—चार व्यक्ति आग्नेयास्त्रों से घायल हुए, चार में से तीन व्यक्ति मर गए—अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास, सुधार और विसंगतियां हैं—अभियोजन पक्ष के सभी गवाह परिवार की एक ही शाखा से हैं और किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई है—कई स्वतंत्र गवाहों के घर के पास शव पाए गए थे—अभियोजन पक्ष घटनास्थल का सही स्थान साबित करने में विफल रहा है।

निर्णीत: भावनाएं या संवेदनाएं, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हों, न तो प्रासंगिक हैं और न ही कानून की अदालत में उनका कोई स्थान है- दोषमुक्ति या दोषसिद्धि, अपराध श्रृंखला के प्रमाण

पर निर्भर करती है जिसमें अनिवार्य रूप से क्यों, कहां, कब, कैसे और कौन शामिल होते हैं- दोष सिद्ध करने के लिए श्रृंखला की प्रत्येक गांठ को संदेह की छाया से परे साबित करना होता है- अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है- दोषसिद्धि का विवादित फैसला और सजा का आदेश रद्द और अलग रखा गया- विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया- अपील स्वीकार की गई।

(पैराग्राफ 28, 29, 43, 44.3)

न्याय दृष्टान्त

ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **(2011) 6** एससीसी **288;** केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से राज्य बनाम हेमेंद्र रेड्डी एवं अन्य आदि, **(2023) 7** एससीआर **134;** दिलावर हुसैन एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, **(1991) 1** एससीसी **253—भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959।

मुख्य शब्दों की सूची

तिहरे हत्याकांड में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास, सुधार और विसंगतियां, अभियोजन पक्ष घटनास्थल का सही स्थान साबित करने में विफल रहा है।

प्रकरण से उत्पन्न

ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 38/12 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 82/2012 (सीआईएस संख्या 47/15) में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V, बक्सर द्वारा पारित दिनांक 20.05.2016 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 27.05.2016 के सजा के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता, सुश्री सूर्या नीलांबरी, अधिवक्ता (सभी में)।

राज्य की ओर से: श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी (सभी में)।

सूचनाकर्ता की ओर से: श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता (सभी में)।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 620

थाना मामला सं.-38 वर्ष-2012 थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर से उत्पन्न

==========

1. अभिषेक सिंह पुत्र शेखर सिंह
2. शेखर सिंह @ चंद्रशेखर सिंह पुत्र शंकर दयाल सिंह, दोनों निवासी कठार, थाना - ब्रह्मपुर कृष्ण ब्रह्म, जिला बक्सर।

अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2016 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 562

थाना मामला सं.-38 वर्ष-2012 थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर से उत्पन्न

==========

शंकर दयाल सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरधारी सिंह , निवासी ग्राम- कठार, थाना- ब्रह्मपुर, कृष्णा ब्रह्म, जिला बक्सर।

अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2016 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 611

थाना मामला सं.-38 वर्ष-2012 थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर से उत्पन्न

==========

1. अशोक सिंह
2. विनोद सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह, दोनों पुत्र शंकर दयाल सिंह, निवासी कठार, थाना - ब्रह्मपुर कृष्णा ब्रह्म, जिला - बक्सर।

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

(2016 के आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 620 में)

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.
सूचक के लिए	:	श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता

(2016 की आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 562 में)

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.
सूचक के लिए	:	श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता

(2016 की आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 611 में)

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.
सूचक के लिए लिए	:	श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः21-11-2024

ये अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई हैं, जिसमें ब्रह्मपुर थाना मामले सं. 38/12 से उत्पन्न सत्र विचारण सं. 82/2012 (सी. आई. एस. सं.47/15) में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-v, बक्सर द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ दायर की

गई हैं, जिसमें अदालत ने सभी अपीलार्थीओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है, अपीलार्थी अशोक सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत भी दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और अपीलार्थी शेखर सिंह उर्फ चंद्रशेखर सिंह, अभिषेक सिंह और विनोद सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है और सभी अपीलार्थी को को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, इसे उनसे राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। अपीलार्थी शेखर सिंह उर्फ चंद्रशेखर सिंह, अभिषेक सिंह और विनोद सिंह को को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 केये अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के तहत दिनांक 20.05.2016 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 27.05.2016 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जो कि ब्रह्मपुर पी.एस. से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 82/2012 (सीआईएस संख्या 47/15) में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V, बक्सर द्वारा पारित किया गया था। प्रकरण संख्या 38/12, जिसके तहत न्यायालय ने सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है, अपीलकर्ता अशोक सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्ताओं, अर्थात् शेखर सिंह उर्फ चंद्रशेखर सिंह, अभिषेक सिंह और विनोद सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है और सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार रुपये) का

जुर्माना भरने की सजा सुनाई है और जुर्माना न भरने की स्थिति में यह राशि उनसे राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अपीलकर्ता शेखर सिंह उर्फ चंद्रशेखर सिंह, अभिषेक सिंह और विनोद सिंह को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन-तीन साल के लिए आर.आई. और 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन-तीन महीने के लिए एस.आई. की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है। तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को तीन साल का कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये (केवल पांच हजार रुपये) का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई है, और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, उन्हें प्रत्येक को तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है -

2.1 अवधेश तिवारी के *फर्दबेयान* को दिनांक 30.01.2012 को प्रातः 10:00 बजे गाँव कठार में दर्ज किया गया, जिसमें सूचक ने बताया है कि दिनांक 30.01.2012 को प्रातः लगभग 8:00 बजे उसका भतीजा (साधु) संजय तिवारी गांव के पूरब स्थित शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, जब अशोक सिंह गाँव कठार आया और अपने भतीजे को गाली देने लगा। इस बीच, दोनों के बीच हाथापाई हो गई और झगड़ा खत्म हो गई और दोनों अपने-अपने घरों को लौट आए। इस बीच, शेखर सिंह, अभिषेक सिंह, अशोक सिंह, विनोद सिंह और शंकर दयाल सिंह राइफल और बंदूक लेकर उनके दरवाजे पर आए और उनके परिवार के सदस्यों पर गोली चलानी शुरू कर दी जिसमें बबन तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी को मुंह में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, मिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी को पेट में गोली लगी और मुन्ना तिवारी को जांघ में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए डुमरांव अस्पताल भेजा गया जहां मिंटू तिवारी

और सच्चिदानंद तिवारी की मौत हो गई और मुन्ना तिवारी को बेहतर इलाज के लिए बक्सर के सदर अस्पताल भेज दिया गया।

2.2. उपरोक्त *फर्दबेयान* के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, जाँच एजेंसी ने जाँच शुरू की। जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

2.3 चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 209 के तहत संबंधित सत्र न्यायालय को यह कार्य सौंपा, जहां इसे सत्र विचारण सं. 82/12 के रूप में दर्ज किया गया था।

2.4 विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें अ.सा.-1 डॉ. राम कुमार गुप्ता, अ.सा.-2 मोहन तिवारी, अ.सा.-3 मुन्ना तिवारी, अ.सा.-4 अभिषेक तिवारी, अ.सा.-5 अवध बिहारी तिवारी, अ.सा.-6 अवधेश तिवारी, अ.सा.-7 डॉ. भूपेंद्रनाथ, अ.सा.-8 डॉ. रवि भूषण श्रीवास्तव, अ.सा.-9 राम बिलास चौधरी, अ.सा.-10 शशि भूषण मिश्रा, अ.सा.-11 संजय कुमार तिवारी, अ.सा.-12 डॉ. राजेश कुमार सिंह, अ.सा.-13 डॉ. संजय कुमार, अ.सा.-14 सुनील रे, अ.सा.-15 शिव बिहारी राम और अ.सा.-16 पारस नाथ यादव (पक्षद्रोही घोषित) शामिल हैं। बचाव पक्ष ने 5 गवाहों, प्र.सा.-1 उमेश सिंह, प्र.सा.-2 तेजनारायण सिंह, प्र.सा.-3 कमलेश सिंह, प्र.सा.-4 कमल सिंह और प्र.सा.-5 पंकज सिंह से भी पूछताछ की है। उपरोक्त के अलावा, एक अदालती गवाह, न्या.सा.-1 सुधीर कुमार सिंह से भी पूछताछ की गई। इसके बाद संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया। विचारण के समापन के बाद, विचारण अदालत ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

3. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर, राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह के साथ-साथ सभी अपीलों में सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुनील कुमार को सुना।

3.1. शुरुआत में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील, श्री अजय कुमार ठाकुर प्रस्तुत करते हैं कि 2016 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 620 के अपीलार्थी सं. 2, अर्थात् शेखर सिंह @चंद्रशेखर सिंह की मृत्यु के लंबित रहने के दौरान हुई अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध आपराधिक अपील (डीबी) सं. 620/2016 समाप्त हो जाती है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि 2016 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 562 के एकमात्र अपीलार्थी, अर्थात् शंकर दयाल सिंह की भी अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए, 2016 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 562 पूरी तरह से समाप्त हो गई है। 2016 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 620 की अपीलार्थी सं. 1 और 2016 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं.611 के दोनों अपीलार्थी जीवित हैं, इसलिए, विद्वान वकील ने उनकी ओर से तर्क दिया।

<u>अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर प्रस्तुत करते हैं कि दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी गलत है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास, असंगतियां और विसंगतियां हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि विचारण अदालत को दो घायल गवाहों, मुन्ना तिवारी (अ.सा.-3) और संजय कुमार तिवारी (अ.सा.-11) के साक्ष्यों को खारिज कर देना चाहिए था क्योंकि इन अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों में बड़े विरोधाभास हैं। वह आगे प्रस्तुत करते है कि विचारण अदालत भी मामले के इस पहलू की सराहना करने में विफल रही है कि दृष्टिगत साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ तीखे विरोधाभास में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जाँच

अधिकारी (अ.सा.-9) के साक्ष्य में और दूसरे जाँच अधिकारी (सीडब्ल्यू-1) के साक्ष्य में भी तीखा विरोधाभास मौजूद हैं।

4.1. यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि जांच अधिकारी ने 30.01.2012 को सुबह 09:05 बजे स्टेशन डायरी में उक्त घटना के बारे में प्रविष्टि की है, जिसके बाद 30.01.2012 की स्टेशन डायरी प्रविष्टि सं. 636 के आधार पर सुबह 09:15 बजे घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति, 10:30, 10:45 और 11:00 बजे जांच हुई, लेकिन *फर्दबेयान* खुद 11:00 बजे तैयार हुआ और 13:00 बजे (01:00 बजे) पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुआ। लेकिन, विचारण के दौरान उक्त स्टेशन डायरी पेश नहीं की गई है। घटना स्थल के संबंध में और संदेह उठाया गया है क्योंकि अ.सा.-9, जांच अधिकारी को घटना स्थल पर कोई खून, छाले आदि नहीं मिले हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले के सही संस्करण के संबंध में संदेह उठाया गया है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जांच अधिकारी (अ.सा.-9) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सभी गवाह, यानी मोहन तिवारी (अ.सा.-2), मुन्ना तिवारी (तथाकथित घायल), अभिषेक तिवारी (अ.सा.-4), अवध बिहारी तिवारी (अ.सा.-5) और अवधेश तिवारी (अ.सा.-6) सभी गांव में मौजूद थे, लेकिन अ.सा.-3, मुन्ना तिवारी (तथाकथित घायल) ने कहा है कि पुलिस ने अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया और उल्लेख किया कि वह अपना बयान देने से पहले या अस्पताल जाने से पहले नहीं मिले हैं। उक्त कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अ.सा.-3 वह घायल व्यक्ति नहीं था जिसे सूचक (अ.सा.-9) ने इलाज के लिए भेजा था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उनके बयान के पैरा-6 में, उनके द्वारा यह कहा गया है कि पुलिस ने भी उनका बयान दर्ज किया है जब वे अपने गाँव वापस लौटे और इसलिए, मुन्ना तिवारी (अ.सा.-3) के मुँह से तीन संस्करण आते हैं कि उन्होंने पीएमसीएच में अपना बयान दिया और आगे

उन्होंने खुलासा किया कि जब वे गाँव वापस आए तो पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है और जांच अधिकारी का कहना है कि उन्होंने उनका बयान गांव में तब दर्ज किया जब पुलिस सुबह 09:15 बजे पहुंची, अतः घायल गवाह (अ.सा.-3) मुन्ना तिवारी के साक्ष्य में तीखा विरोधाभास है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

4.2. जाँच अधिकारी (अ.सा.-9) द्वारा घटना के स्थान की पहचान भी नहीं की गई है, जैसा कि उन्होंने विशेष रूप से पैरा-10 में कहा है कि जांच 30.01.2012 को सुबह 09:05 बजे ही शुरू हो गई थी और घटना स्थल का निरीक्षण सुबह 09:10 बजे किया गया था। इसलिए, उपरोक्त प्रस्तुतियों से, यह माना जाएगा कि अभियोजन पक्ष ने उनके बयान को दबा दिया है, जो पुलिस को तब दिया गया था जब वे पहली बार उनसे मिले थे। अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वे बयान अभियोजन पक्ष के लिए अनुकूल नहीं थे और केवल इसी कारण से एक और *फर्दबेयान* लिया गया था, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में कहा गया है कि घटना स्थल की पहचान नहीं की गई है, क्योंकि अ.सा.-9 कहते हैं कि शिवाला मंदिर कृष्ण ब्रह्म अरक रोड से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और उक्त सड़क गांव के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसके अलावा, घटना का दूसरा स्थान सड़क के चरम दक्षिणी हिस्से में बताया गया है, जहां ट्रांसफॉर्मर स्थित है, जैसा कि अ.सा.-9 में उल्लेख किया गया है, जबकि अ.सा.-11 पैरा-7 में कहता है कि गाँव से मंदिर लगभग 1/2 कि. मी. उत्तर में स्थित है, इसलिए इस मामले में घटना के विभिन्न स्थान मौजूद हैं।

4.3. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री ठाकुर आगे प्रस्तुत करते हैं कि जांच अधिकारी (अ.सा.-9) ने पैरा-29 में कहा है कि उन्होंने उन लोगों का बयान दर्ज नहीं किया है जो घटना स्थल के पास रह रहे थे। पैरा-27 में उन्होंने कहा कि उन्होंने सुरेंद्र सिंह, श्री राम कमर, चौकीदार पारस राम यादव और शिव बिहारी के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से

अधिकांश से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डॉक्टर (अ.सा.-7) ने *पोस्टमार्टम* किया है। उन्होंने प्रवेश के घाव के चारों ओर कालापन पाया और कहा कि गोलीबारी 1-1.5 मीटर के भीतर की गई थी, जबकि सभी गवाह उन्होंने कहा कि 8 से 15 मीटर की दूरी पर गोलीबारी की गई, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा होता है। अ.सा.-11 ने कहा कि यह घटना शिवाला मंदिर के पास हुई जहां से वह भोजन करने के लिए आगे बढ़े, पैरा-2 में अ.सा.-15 ने कहा कि यह घटना शिवाला में सुबह 05:00 से 06:00 बजे के बीच हुई जब कोहरा था। इन दोनों गवाहों को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है और इसलिए, उनके बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अ.सा. -2,3,4,5 और 6 ने कहा कि सुबह लगभग 08:00 बजे, मंदिर में पूजा कर रहे संजय कुमार तिवारी (अ.सा.-11) को अशोक सिंह ने गाली दी और उनके और अशोक सिंह के बीच हाथापाई हो गई। उक्त हाथापाई में संजय तिवारी घायल हो गए। मृतक सच्चिदानंद तिवारी ने उसे 200 रुपये दिए-और वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना की उत्पत्ति को संजय कुमार तिवारी (अ.सा. -11) ने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि या तो अ.सा.-11 को कोई चोट नहीं लगी है या अभियोजन पक्ष डॉक्टर की रिपोर्ट को गढ़ने में सक्षम है क्योंकि डॉ. राजेश कुमार सिंह (अ.सा.-12) ने 23.02.2012 को दोपहर 01:30 बजे संजय तिवारी की जांच की थी और कहा था कि चोट की उम्र 2-3 घंटे थी, जबकि घटना सुबह 09:00 बजे से पहले हुई थी, इसलिए, तीव्र विरोधाभास मौजूद है।

4.4. श्री अजय कुमार ठाकुर, अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता, यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अदालत के गवाह, अर्थात न्या.सा.-1, दूसरे जांच अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान नामित प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् शंकर दयाल सिंह और विनोद

सिंह के खिलाफ कोई सामग्री नहीं मिली, इसलिए अंतिम रिपोर्ट 30.04.2013 को प्रस्तुत की गई थी। दूसरा जाँच अधिकारी आगे प्रस्तुत करता है कि 30.04.2013 को, उसने अदालत में अपील दायर किया कि आरोपी, शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह के खिलाफ पहले प्रस्तुत आरोप-पत्र को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जो आरोप पत्र सं. 11/2012 दिनांक 25.02.2012 है, जो कि प्रदर्श -ए के रूप में दर्ज है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते है कि अभियोजन पक्ष एएसआई, राम अवतार यादव, जो घटनास्थल पर आए, जांच रिपोर्ट तैयार की तथा फर्दबेयान दर्ज किया, से पूछताछ करने में विफल रहा है तथा इसी प्रकार वी. शुक्ला, जिन्होंने जब्ती सूची तैयार की, से भी पूछताछ नहीं की गई है, विशेष रूप से इस प्रकाश में कि उक्त एएसआई राम अवतार यादव ने एक अभियुक्त की जांच रिपोर्ट 11:00 बजे प्रातः तैयार की तथा उसी दिन प्रातः 11:00 बजे सूचक का फर्दबेयान दर्ज करने का आरोप लगाया। अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जांच अधिकारी अ.सा.-9 के बयान के आधार पर उन्होंने 09:15 बजे से जांच शुरू कर दी है, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले 10:30, 10:45 और 11:00 बजे पंचनामा तैयार की है। यह स्थिति हमेशा धारा 162 द.प्र.सं. के तहत आई है और यह स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि उनके बयान के पैरा-1 में अ.सा.-6 के संस्करण के अनुसार अ.सा.-3 को दाहिनी जांघ में चोट लगी है, लेकिन अ.सा.-3 ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि उनके पैर की किस जांघ पर उन्हें चोट लगी है। डॉक्टर ने उसकी जाँच की और पाया कि उसकी बाईं जांघ पर चोट लगी है और आगे चोट सतही है और डॉक्टर ने कहा है कि यह खुद से लगी चोट भी हो सकती है और धारदार हथियार से छेद भी हो सकता है।

4.5. इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण अदालत ने अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित

निर्णय पारित किया है। इसलिए विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि इन सभी अपीलों को स्वीकार किया जाए और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित फैसले को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

<u>राज्य और सूचक की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

5. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक के साथ-साथ सूचक की ओर से पेश विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी चंद्रशेखर सिंह उर्फ शेखर सिंह, अभिषेक सिंह और विनोद सिंह ने अपने हाथों में राइफल/बंदूकें रखी थीं। अन्य अभियुक्तों ने अपने हाथों में *लाठी* रखी थी। उक्त बंदूक से तीन लोगों की हत्या कर दी गई और मुन्ना तिवारी (अ.सा. -3) घायल हो गए। उक्त घटना के चश्मदीद गवाह हैं और विशेष रूप से घायल गवाह, अ.सा.-3 के साक्ष्य को ध्यान में रखा जा सकता है। विचारण अदालत ने चश्मदीद गवाह सहित सभी सबूतों की उचित सराहना के बाद आरोपी व्यक्तियों को कानून के अनुसार पूरी तरह से दोषी ठहराया है। वकीलों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि विचारण अदालत के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं है और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है। दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। वकीलों का कहना है कि यह तीन हत्याओं का मामला है जिसमें मृत्युपरीक्षण की गई है। *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट इस आरोप का समर्थन करती है कि मौत गोली की चोट के कारण हुई है और गवाहों के बयान से आरोपी व्यक्तियों के नामों को उजागर किया गया है। विद्वान वकीलों का कहना है कि आगे के साक्ष्य और सबूतों पर विचार न करना, जो आगे की जांच से आया है, किसी भी तरह से विचारण में एक बड़ी विसंगति नहीं मानी जाएगी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में

चश्मदीद गवाह हैं और उनमें से एक चश्मदीद घायल हो गया है और उसकी गवाही इस मामले में पूरी कहानी को पूरा करती है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और इसलिए, दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित फैसले को पारित करते समय विचारण अदालत द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसलिए, विद्वान अपर लोक अभियोजकों के साथ-साथ सूचक के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

6. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री और विचारण अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की है, बचाव पक्ष ने 5 गवाहों से पूछताछ की है और अदालत के एक गवाह से भी पूछताछ की गई है। इस स्तर पर, हम अभियोजन-गवाहों के बयानों के पूरे प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहेंगे।

7. अ.सा.-1, डॉ. राम कुमार गुप्ता एक औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उन्हें बक्सर के सदर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। वे बबन तिवारी, जितेन्द्र उर्फ मिंटू तिवारी और सचिदानंद तिवारी के शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने क्रमशः प्रदर्श 1,2 और 3 के रूप में चिह्नित *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

8. अ.सा.-2, मोहन तिवारी ने अपने मुख्य परीक्षण में गवाही दी है कि यह घटना 30.1.2012 को सुबह लगभग 8 से 9 बजे हुई थी। वह अपना दालान साफ कर रहा था। उनके साथ सच्चिदानंद तिवारी, जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी, पिंटू तिवारी उर्फ बबन तिवारी, मुन्ना तिवारी, अभिषेक तिवारी, अवध बिहारी तिवारी और अवधेश तिवारी थे। जब संजय तिवारी वहां

आए तो वे सभी सफाई कर रहे थे। संजय तिवारी के मुँह से खून बह रहा था। उनके निचले दांत टूट गए थे। संजय ने कहा कि अशोक सिंह ने उसे पीटा था और उसे इस हालत में डाल दिया था। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। कुछ देर बाद वे नाश्ते के लिए घर जा रहे थे। हम अपने दरवाजे से करीब 10-12 मीटर दूर गए थे, तभी हमने अपने सामने शेखर सिंह, अभिषेक सिंह, विनोद सिंह, अशोक सिंह और शंकर दयाल सिंह को देखा। शेखर सिंह के पीछे हम उनकी बेटी स्नेहा सिंह और शंकर दयाल, विनोद सिंह, शेखर सिंह और अशोक सिंह की पत्नियों को देखते हैं। शेखर सिंह, विनोद सिंह और अशोक सिंह के हाथों में राइफल-बंदूकें थीं, अशोक सिंह के हाथ में लाठी थी और शंकर दयाल सिंह के हाथ में एक छोटी छड़ी थी। उपर्युक्त लोग आगे आए और उनके दादा काशी नाथ तिवारी का नाम लेकर उन्हें गाली देने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शंकर दयाल सिंह ने उन्हें जान से मारने के लिए उकसाया। तब तक शेखर सिंह ने बबन तिवारी और अभिषेक सिंह ने मिंटू तिवारी को गोली मार दी थी। तब सच्चिदानंद तिवारी हाथ जोड़कर आगे आए और कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसी समय अभिषेक सिंह ने सच्चिदानंद तिवारी को गोली मार दी। तब तक मुन्ना तिवारी भी थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, फिर विनोद सिंह ने मुन्ना तिवारी को गोली मार दी। उस समय वे ओम प्रकाश सिंह के दरवाजे पर चबूतरे पर थे और वहाँ एक सीढ़ी थी। उसी समय विनोद सिंह ने उन पर गोली चलाई लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी। गोली ओम प्रकाश सिंह के घर की दीवार पर लगी। वह सीढ़ियों के पीछे छिप गया। गोली लगने से बबन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। मिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी की डुमरांव आते समय मृत्यु हो गई। मुन्ना तिवारी को कंधे में गोली लगी थी और उन्हें डुमरांव से बक्सर भेजा गया था। उन्हें बक्सर के सदर अस्पताल लाया गया और फिर विश्वामित्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के बाद

उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। यह गवाह अदालत में अभिषेक सिंह, शेखर सिंह, विनोद सिंह और अशोक सिंह की पहचान करने का दावा करता है।

8.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसके पिता के चार भाई हैं, रामजी तिवारी, अवधेश तिवारी, श्याम बिहारी तिवारी और अवध बिहारी तिवारी। उनके गाँव के पूर्वी छोर पर उत्तर-दक्षिण दिशा में एक पक्की सड़क है। उस सड़क से लगभग 20-30 मीटर पूर्व में एक शिव मंदिर है। इस मामले में तीन आरोपी शंकर दयाल सिंह के बेटे हैं और अभिषेक उनके पोते हैं। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में आगे कहा गया है कि जब उसने पहली बार देखा, तो आरोपी बोलते हुए एक या दो कदम आगे बढ़ा और गोली चलाने लगा। जब पहली गोली बबन तिवारी को लगी, तो वह सीढ़ियों पर चढ़ गए और नीचे बैठ गए; यही कारण था कि उन्हें गोली नहीं मारी गई। सभी अभियुक्तों ने एक साथ बंदूक और राइफल से गोली नहीं चलाई। उन्होंने बारी-बारी से गोलीबारी की। जब पहली गोली बबन तिवारी को लगी, तो उनके साथ आए लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने का समय नहीं था। जितेंद्र तिवारी को बबन तिवारी के उत्तर और थोड़े पूर्व की दूरी पर गोली मार दी गई थी। सच्चिदानंद तिवारी पश्चिम की ओर बबन तिवारी से दो कदम आगे थे। उस समय मुन्ना तिवारी और बबन तिवारी एक, दो या तीन कदम आगे थे। बबन तिवारी पर आठ से दस मीटर की दूरी से गोलियां चलाई गईं। सभी गोलीबारी पूर्व की ओर बैरल करके की गई थी। शंकर दयाल सिंह अभियुक्तों में न तो अग्रणी थे और न ही अंतिम। सभी आरोपी एक साथ थे ।शंकर दयाल सिंह अभियुक्तों में पहली पंक्ति में थे। अशोक सिंह आरोपियों के पीछे थे। विनोद सिंह अशोक सिंह से आगे थे। अभिषेक सिंह विनोद सिंह और फिर शेखर सिंह से आगे थे।इ स गवाह ने आगे कहा कि चारों मृत और घायल गिर गए थे। चारों एक-दूसरे से कुछ दूरी पर गिर गए थे। जितेंद्र तिवारी उत्तर में कमल सिंह के घर के सामने गिर गए थे। सचिता पश्चिम की ओर जितेंद्र तिवारी से 15-20 हाथ की दूरी पर गिर

गई थी। बबन तिवारी जितेंद्र तिवारी से 5-7 हाथ की दूरी पर गिर गया था। मुन्ना तिवारी जितेंद्र तिवारी के पश्चिम में 10-12 हाथ की दूरी पर गिर गया था। पड़ोसियों ने घायलों को बाहर निकाला। यादव लोग तीन खाटों को ले गए। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि हमारे परिवार के संजय साधु घायलों के साथ गया था। घायल लोग मृत अवस्था में लौटे। सचिता तिवारी और जितेंद्र तिवारी मृत अवस्था में लौट आए। जब सचिता तिवारी और जितेंद्र तिवारी मृत अवस्था में लौटे, तो उनके खाटें उसी स्थान पर नहीं रखे गए थे जहाँ वे गिरे थे। मृतक के आने से पहले दारोगाजी ने घटना स्थल का दौरा किया था और बयान दर्ज किए थे। जब दारोगाजी पहुंचे तो बबन तिवारी को एक खाट पर लिटाया गया था। उन्हें याद नहीं है कि क्या उन्होंने दारोगाजी को बयान दिया था कि संजय साधु ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने दारोगाजी से कहा था या नहीं कि वे वह मृतक और घायलों के साथ नाश्ता करने जा रहे हैं। गोली उसे ओम प्रकाश के घर की पश्चिमी दीवार में लगी। गोली 10-15 फुट की ऊँचाई पर लगी। विनोद सिंह का ससुराल बलुआ में है। उन्हें नहीं पता कि विनोद सिंह अपने परिवार के साथ बलुआ में रहते हैं या नहीं। शंकर दयाल सिंह की आयु 75-80 वर्ष होगी। यह सच नहीं है कि शंकर दयाल सिंह की आयु 85 वर्ष होगी। शंकर दयाल सिंह छड़ी की मदद से चलते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यह सच नहीं है कि घटना के दिन विनोद सिंह कठार गाँव में नहीं थे और पुलिस ने शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह को जाँच में निर्दोष पाया। यह सच नहीं है कि अशोक सिंह घायल हैं। यह सच नहीं है कि वह झूठी गवाही दे रहा है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

9. अ.सा.-3 एक घायल गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में गवाही दी है कि यह घटना डेढ़ साल पहले हुई थी। उस समय सुबह के 8:30 बज रहे थे। उस समय वह अपने दरवाजे पर थे। उनके साथ बबन तिवारी, मिंटू तिवारी सच्चिदानंद तिवारी, मुन्ना तिवारी,

अवधेश तिवारी, अभिषेक तिवारी और अवध बिहारी तिवारी थे। उसके चचेरे भाई की शादी उसके घर पर हुई थी और वह दरवाजे की सफाई कर रहा था। संजय साधु आए और बताया कि अशोक सिंह ने उन्हें पीटा था। उसका दाँत टूट गया था। उनके पिता ने 200 रुपये निकाला और साधुजी को उनका इलाज कराने के लिए दिया। वह चला गया और उन्होंने सफाई शुरू कर दी। जब वे नाश्ते के लिए जननी किता गए, तो शेखर सिंह, विनोद सिंह, अभिषेक सिंह और शंकर दयाल सिंह बंदूकों के साथ आए और अशोक सिंह *लाठी* के साथ आए। शंकर दयाल सिंह ने उनके दादा का नाम लेकर उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और उन्हें जान से मारने के लिए उकसाया। फिर शेखर सिंह ने बबन तिवारी को गोली मार दी। अभिषेक सिंह ने पिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी को गोली मार दी। जब विनोद सिंह ने उन्हें गोली मारी तो गोली उनकी जांघ में लग गई। विनोद सिंह ने मोहनजी तिवारी को गोली मार दी लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी। महिलाएँ गाली दे रही थीं और ईंटें और पत्थर फेंक रही थीं। इसके बाद आरोपी हवा में 2 से 4 राउंड गोलियां चलाने के बाद भाग गया। उन्हें डुमरांव अस्पताल लाया गया और बक्सर के विश्वामित्र अस्पताल और फिर पीएमसीएच ले जाया गया। मिंटू तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और बबन तिवारी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अस्पताल में उसका बयान लिया। गवाह शेखर सिंह, विनोद सिंह, अशोक सिंह और अभिषेक सिंह की पहचान करने का दावा करता है। वह उन लोगों की पहचान करने का भी दावा करता है जो नहीं आए हैं।

9.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसे नहीं पता कि पुलिस ने किस अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया है। उन्हें डुमरांव लाया गया। उसे याद नहीं है कि घटना के कितने दिनों बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा था, उनके परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं था। जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा था, तो उन्हें पता था कि एक मामला दर्ज किया गया है। यह पहली बार था जब उसने पुलिस को घटना

के बारे में बयान दिया था। वह 10-11 दिनों के बाद अस्पताल से घर आया। इन 10-11 दिनों में पुलिस उसे गाँव से अस्पताल नहीं ले गई। अस्पताल जाने से पहले वह पुलिस से नहीं मिला। पुलिस ने पीएमसीएच में उसका बयान दर्ज किया। पटना पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। जब वह घर आया तो वह पुलिस से मिला। उन्होंने घर पर दूसरी बार अपना बयान दिया। साधु जी 8:30 बजे हमारे यहां आए और कुछ देर रुके और बातचीत की। वह यह नहीं बता सकते कि गोलीबारी कब तक जारी रही। घटना के दिन उसने एक तौलिया, शॉर्ट्स और एक बनियान पहना था। गोली तौलिया में घुस गई थी। वह यह नहीं बता सकता कि तौलिया पुलिस को दिया गया था या नहीं। वह यह नहीं बता सकता कि गोली उसे कितनी दूर से लगी। गोली 10-20 क्यूबिट की दूरी से चलाई गई थी। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि महिलाएं गाली-गलौज कर रही थीं और ईंटें फेंक रही थीं। विनोद सिंह का ससुराल बलुआ में है। विनोद सिंह अपने ससुराल में नहीं रहते हैं। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि हवा में 2 से 4 राउंड फायर के बाद आरोपी भाग गए।

10. अ.सा.-4 ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना 30.01.2012 की है। समय प्रातः 08:00-08:30 बजे का था। उस समय वह दालान की सफाई कर रहे थे। संजय तिवारी उर्फ साधु तिवारी दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि उनके मुंह से खून बह रहा था और उनके दांत टूट गए थे और उन्होंने कहा कि शिवाला में अशोक सिंह के साथ पुआल जलाने को लेकर झगड़ा हुआ था और अशोक सिंह ने उन्हें पीटा था। फिर सच्चिदानंद तिवारी ने साधु तिवारी को 200 रूपये दिये और उन्हें जाकर इलाज कराने के लिए कहा। कुछ देर बाद बबन तिवारी, मिंटू तिवारी, मुन्ना तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी, मोहन तिवारी और अभिषेक तिवारी नाश्ते के लिए अवधेश तिवारी के घर जा रहे थे। शंकर सिंह, अभिषेक सिंह, विनोद सिंह, अशोक सिंह, शंकर दयाल सिंह, स्नेहा सिंह, शंकर सिंह की पत्नियां, विनोद सिंह, अशोक सिंह

और शंकर दयाल सिंह आए। शंकर सिंह, विनोद सिंह और अभिषेक सिंह बंदूकों से लैस थे। अशोक सिंह और शंकर दयाल सिंह डंडा से लैस थे। स्नेहा सिंह के हाथ में गोलियों का थैला था। वे सभी गाली देते हुए आए कि उन्हें काशी के परिवार को मारना है और जब शंकर दयाल सिंह ने उन्हें उकसाया, तो शेखर सिंह ने बबन तिवारी को गोली मार दी, जो उनके मुंह में लगी और वह वहीं गिर गया। विनोद सिंह ने मुन्ना तिवारी को जांघ में गोली मार दी। विनोद सिंह ने मोहन तिवारी पर दूसरी गोली चलाई, जो मोहन तिवारी को नहीं बल्कि ओम प्रकाश की दीवार पर लगी। अभिषेक सिंह ने मिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी को गोली मार दी। मिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी को सीने में चोट लगी थी। गोली लगने के बाद वे सभी नीचे गिर गए। बबन तिवारी की वहाँ मृत्यु हो गई। मिंटू तिवारी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। सच्चिदानंद तिवारी का डुमरांव अस्पताल में निधन हो गया। मुन्ना तिवारी को डुमरांव ले जाया गया और फिर उन्हें विश्वामित्र अस्पताल और फिर पीएमसीएच भेज दिया गया। आरोपी लोग पश्चिम की ओर भाग गए। गवाह अदालत में अभिषेक सिंह, चंद्रशेखर सिंह और अशोक सिंह की पहचान करने का दावा करता है। वह उन लोगों की पहचान करने का भी दावा करता है जो नहीं आए हैं।

10.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह आरा जैन कॉलेज जाता है। वह बी. ए. प्रथम वर्ष में पढ़ता है। घटना के समय वह आदर्श इंटर कॉलेज, वाराणसी में इंटर द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा था। वह भभुआ के एक दोस्त के साथ वाराणसी के एक कमरे में रहता था। जब गोलीबारी शुरू हुई तो वे गली के कोने में छिप गए और भाग नहीं पाए। वह गली उनके आंगन के दक्षिण में है। वह खुद को बचाने के लिए गली में छिप गया ताकि कोई मुझे देख न सके और गोली न चलाई जा सके। जब तक आरोपी नहीं चला गया तब तक वह सड़क के कोने में छिपा रहा। मृतक या घायल ने कहीं छिपने की कोशिश नहीं की। जहां वह छिपा था,

उससे थोड़ी दूर दक्षिण में मोहन तिवारी छिपा हुआ था। उसने पुलिस को बयान दिया था। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उस समय वह दालान की सफाई कर रहा था और दालान पर उसके साथ अवधेश तिवारी और अवध बिहारी तिवारी थे। उन्होंने दारोगाजी के सामने यह भी कहा कि वह और मोहन तिवारी अवधेश तिवारी के घर नाश्ता करने जा रहे थे। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि पुलिस घटना के 20 मिनट बाद पहुंची। कृष्ण ब्रह्म पुलिस थाना उनके गाँव से डेढ़ किलोमीटर दूर है। उन्हें याद नहीं है कि दारोगाजी कब आए थे, किसने बयान दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई घटना नहीं देखी और झूठी गवाही दी।

11. अ.सा.-5 ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि यह घटना दिनांक 30.01.2012 को प्रातः 08:00-08:30 बजे घटित हुई। उस समय वह अपने दरवाजे पर थे। उनके परिवार में एक शादी थी और दरवाजा साफ किया जा रहा था। संजय साधु मंदिर में पूजा करने गए थे और खुद वहीं ताप ले रहा रहे थे तभी अशोक सिंह ने कहा कि वह उस पर धूल फेंक रहा है तथा गाली-गलौज कर मारपीट की, जिससे उसके दांत टूट गए। सचिदा तिवारी ने उसे इलाज के लिए 200 रुपए दिया। जब उन्होंने नाश्ते के लिए जननी किता जाना शुरू किया, तो चंद्रशेखर सिंह एक राइफल के साथ आए, अभिषेक सिंह और विनोद सिंह बंदूकों के साथ आए, अशोक सिंह लाठी के साथ आए और शंकर दयाल सिंह एक छड़ी के साथ आए और शंकर दयाल सिंह ने काशी के परिवार को जान से मारने के लिए उकसाया। चंद्रशेखर सिंह ने बबन तिवारी को गोली मार दी, जिससे बबन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। अभिषेक सिंह ने जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी को गोली मार दी और चंद्रशेखर सिंह ने भी उन्हें गोली मार दी और गोली उनकी छाती में लग गई। जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी की भी दोनों की गोलियों से मौके पर ही मौत हो गई। सचिदा तिवारी ने हाथ जोड़कर पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो अभिषेक सिंह ने उन्हें भी गोली मार दी और गोली उनकी दाहिनी ओर की पसलियों में लग

गई और उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। विनोद सिंह ने मुन्ना तिवारी को गोली मार दी और गोली उनकी जांघ में लग गई। मोहन तिवारी को गोली मारी गई, लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी और गोली दीवार से टकरा गई। स्नेहा सिंह गोलियाँ निकाल रही थी। इसके बाद आरोपी पश्चिम की ओर चले गए। मुन्ना तिवारी को डुमरांव ले जाया गया और वहां से उन्हें बक्सर और फिर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। उन्होंने फरदबेयान पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे प्रदर्श 4 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृतक के शवों का पंचनामा किया गया। उन्होंने बबन तिवारी और जितेंद्र तिवारी की जाँच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 5 और 6 के रूप में चिह्नित किया गया है। पुलिस ने मंदिर के पास जले हुए पुआल की राख जब्त की। खाली कारतुस और खून का नमूना भी जब्त कर लिया गया और उसने जब्ती सूची में अपने हस्ताक्षर कर दिए जिसे प्रदर्श 7 के रूप में चिह्नित किया गया है गवाह अदालत में आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है।

11.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है साधु जी के साथ घटना के समय वह शिवाला में नहीं था। साधुजी सुबह शिवाला में प्रार्थना करने गए थे। वह शिवाला में सोते थे और वहाँ रहते थे। जब पुलिस आई तो साधुजी इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए। उस दिन घटना के बाद साधुजी घर आए और जब वे आए तो पुलिस वहां थी। पुलिस ने साधुजी के खेत को देखा और उनका बयान दर्ज किया। साधुजी 8:00 बजे दालान आए और 5 मिनट बाद चले गए। साधुजी के जाने के कुछ ही समय बाद वे नाश्ता करने जा रहे थे। आरोपी एक कतार में थे और उन्होंने एक समानांतर रेखा में गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने एक-एक करके गोलीबारी की। जो भी खड़ा था उसे गोली नहीं लगी। जिसे भी गोली लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और मुन्ना तिवारी बच गए। गोला उस जगह पर गिरा जहाँ से आरोपी ने गोली चलाई थी। उसने पुलिस को बयान भी दिया था। उन्होंने दारोगाजी को यह नहीं बताया था कि जब गोलीबारी शुरू

हुई तो वे और ग्रामीण दालान में छिप गए और जब गोलीबारी समाप्त हुई तो वे घटना स्थल पर आ गए। उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। उसके बड़े भाई ने पुलिस को सूचित करने की कोशिश की। कुछ देर बाद पुलिस आई। जब पुलिस आई तो मुन्ना तिवारी गांव में थे। सचिदा तिवारी और जितेंद्र तिवारी को अस्पताल नहीं लाया गया। तीनों के घावों से खून बह रहा था। उसे याद नहीं है कि उसने पहले *फरदबेयान* पर हस्ताक्षर किए थे या जाँच रिपोर्ट पर। जब दारोगाजी आए, तो उन्होंने पहली बार शवों और उन्हें लगी चोटों को देखा। रिपोर्ट तैयार की गई। उन्होंने हस्ताक्षर किए और फिर अवधेश तिवारी का बयान दर्ज किया गया। पुलिस पूरा दिन गांव में रही। एस. पी. और डी. एम. सभी पूरे दिन रहे। कुत्ता भी पटना से आया था। वह यह नहीं बता सकता कि कुत्ते के दस्ते के आने के कितने समय बाद उसके भाई का बयान दर्ज किया गया था। वह यह नहीं बता सकते कि मंदिर में राख की जब्ती सूची उसी दिन बनाई गई थी या 2-4 दिनों के बाद। उसे याद नहीं है कि उसने राख से संबंधित जब्ती सूची पर कहाँ हस्ताक्षर किए थे। वह मुन्ना तिवारी के साथ अस्पताल नहीं गए। वे श्राद्ध के दिन मुन्ना तिवारी को लाए थे। उसे याद नहीं है कि कितने दिनों के बाद उसने खाली गोलियों के नमूने और खून के नमूने पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने दरवाजे पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें याद नहीं है कि घटना के कितने दिनों बाद उन्होंने दारोगाजी को अपना बयान दिया था। दारोगाजी ने साधुजी का खून से सना कपड़ा देखा था लेकिन उन्होंने उसे नहीं लिया। उन्होंने दारोगाजी से कहा था कि साधुजी खून से लथपथ दरवाजे पर आए और सचीदा तिवारी ने इलाज के लिए 200 रूपये दी और जब हम नाश्ता करने के लिए जननी किटा जाने लगे, तो चंद्रशेखर सिंह एक राइफल के साथ आए, शंकर दयाल सिंह एक छड़ी और स्नेहा सिंह गोलियों का एक थैला लेकर आए और शंकर दयाल सिंह ने कहा कि काशी के परिवार को मार डालो और खत्म कर दो और चंद्रशेखर सिंह ने बबन तिवारी और बबन को गोली मार दी और बबन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गयी। अभिषेक

सिंह और चंद्रशेखर सिंह ने जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी को भी गोली मार दी, जो उनके सीने में लग गई और जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी की दोनों की गोलियों के कारण मौके पर ही मौत हो गई और सचिदा तिवारी ने अपने हाथ जोड़कर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो अभिषेक सिंह ने उन्हें गोली मार दी और गोली उनकी दाहिनी पसली में लग गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विनोद सिंह ने मुन्ना तिवारी की जांघ में गोली मार दी। मोहन तिवारी को भी पर भी गोली चलाई गई, लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी।

12. अ.सा.-6 इस मामले का सूचक है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना 30.01.2012 को प्रातः 08:00 बजे घटित हुई। उस समय वह अपनी दुकान पर थे। उनके साथ अवधेश तिवारी, अवध बिहारी तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी, मिंटू तिवारी, बबन तिवारी, अभिषेक तिवारी, मोहनजी तिवारी और मुन्ना तिवारी थे। वे बगीचे की सफाई कर रहे थे। संजय साधु शिवालय से आए और कहा कि अशोक सिंह ने उन्हें पीटा है और उन्होंने उन्हें गाली दी है। सचीदा तिवारी ने संजय साधु को 200 रुपए दिया और उन्हें जाकर अपनी दवा लेने के लिए कहा। वे नाश्ते के लिए गए और जब वे पश्चिम की ओर बढ़े, तो उन्होंने देखा कि शेखर सिंह एक राइफल, अभिषेक सिंह एक बंदूक के साथ, विनोद सिंह एक बंदूक के साथ, अशोक सिंह एक छड़ी के साथ, शंकर दयाल सिंह एक छड़ी के साथ और शंकर दयाल सिंह ने काशी तिवारी के परिवार को खत्म करने के लिए कहा। शेखर सिंह ने बबन तिवारी को गोली मार दी जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभिषेक सिंह ने मिंटू तिवारी और सचिदा तिवारी को गोली मार दी। विनोद सिंह ने मुन्ना तिवारी पर गोली चलाई जो उनकी दाहिनी जांघ में लगी। विनोद सिंह ने मोहनजी तिवारी को भी गोली मार दी लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी। शेखर सिंह की बेटी के पास गोलियों का थैला था और वह आरोपी को गोलियां दे रही थी। गवाह अदालत में आरोपी विनोद सिंह, अशोक सिंह, अवधेश सिंह और शेखर सिंह की

पहचान करने का दावा करता है। उन्होंने उन लोगों की भी पहचान की जो नहीं आए थे। उन्होंने दारोगाजी को अपना बयान दिया और बयान पर हस्ताक्षर किए। अवध बिहारी तिवारी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। पुलिस ने मंदिर के पास से राख जब्त की।

12.1.उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि शंकर दयाल सिंह का घर उनके *दालान* से 500 गज की दूरी पर स्थित है। अन्य ग्रामीणों के घर आरोपी के घर और उसके *दालान* के बीच स्थित हैं। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा है कि जब दारोगाजी आए, तो मृतक और घायल गाँव में मौजूद थे। मृतकों और घायलों को खाट पर डुमरांव लाया गया। डुमरांव गाँव से 2 कोस दूर है। उन्होंने दारोगाजी को घटना का स्थान दिखाया। उन्होंने दारोगाजी के सामने यह नहीं कहा कि आरोपी व्यक्ति उनके दरवाजे के पास आए थे। उन्होंने दारोगाजी को बताया कि उस समय वे उनके आंगन में थे। उसने दरोगा जी को यह नहीं बताया कि अवधेश तिवारी, अवध बिहारी तिवारी, सचिदा तिवारी, मिंटू तिवारी, बबन तिवारी, अभिषेक तिवारी, मोहनजी तिवारी और मुन्ना तिवारी सफाई में लगे हुए थे। उन्होंने दारोगाजी को बताया कि संजय साधु मंदिर से आए और बताया कि अशोक सिंह ने उन पर हमला किया। उन्होंने दारोगाजी को यह भी नहीं बताया कि सचीदा तिवारी ने संजय साधु को 200 रुपए दिया और उन्हें जाकर अपना इलाज कराने के लिए कहा, फिर साधूजी चले गए। उन्होंने दारोगाजी को बताया था कि साधूजी चले गए थे और फिर हम नाश्ता करने गए और जब हम पश्चिम की ओर बढ़े तो शेखर सिंह एक राइफल, अभिषेक सिंह एक बंदूक, विनोद सिंह एक बंदूक, अशोक सिंह एक लाठी और शंकर दयाल सिंह एक छड़ी के साथ आए और शंकर दयाल सिंह ने काशी तिवारी के परिवार को खत्म करने के लिए कहा। उन्होंने दारोगाजी को बताया था कि शेखर सिंह ने बबन तिवारी को गोली मारी और बबन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई और अभिषेक सिंह ने मिंटू तिवारी और सचिता तिवारी को गोली मार दी और उन्होंने यह भी कहा था कि विनोद

सिंह ने मुन्ना तिवारी को गोली मारी जो उनकी दाहिनी जांघ में लगी और विनोद सिंह ने मोहनजी तिवारी पर भी गोली चलाई लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उसने दारोगाजी को यह भी बताया था कि स्नेहा सिंह के पास गोलियों का एक थैला था और वह आरोपी व्यक्तियों को गोलियां दे रही थी। इस गवाह का कहना है कि जब गोलीबारी शुरू हुई तो साधुजी नहीं आए। घटना के बाद, दारोगाजी आए और उन्होंने देखा और रोते-बिलखते चले गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने एक साथ गोली नहीं चलाई बल्कि एक-एक करके गोली चलाई। उसे याद नहीं है कि पुलिस धारा 164 द.प्र.सं. के तहत उसका बयान दर्ज करना चाहती थी और वह नहीं आया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने घटना को नहीं देखा और झूठी गवाही दी है।

13. अ.सा.-7 डॉ. भूपेंद्रनाथ हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उन्हें बक्सर के सदर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। वह मृतक के शवों का *पोस्टमार्टम* करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक थे। इस गवाह ने बबन तिवारी के शव पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाई हैंः

(i) 1.5 "x 3/4" आकार का घाव, उल्टा मार्जिन और घाव के चारों ओर काला पड़ना और नीचे वर्णित निकास के घाव के साथ जुड़ा हुआ। यह प्रवेश के मुँह के घाव के बाएँ कोण पर स्थित है।

(ii) गर्दन के दाहिने हिस्से के ऊपरी और पार्श्व भाग में स्थित 2 "x1" आकार का घाव। यह (i) में वर्णित बाहर निकलने वाले घाव से जुड़ा हुआ था।

सिर और गर्दन के विच्छेदन पर, निचला जबड़ा जो अनिवार्य फ्रैक्चर है, दाहिनी कैरोटिड धमनी में में कटाव पाया गया।

छाती के खोलने पर: -फेफड़ा पीला, दिल दोनों कक्ष खाली है।

पेट-यकृत, प्लीहा, गुर्दे-पीला पेट-खाली

मूत्राशय में- कम मूत्र जननांग- एनएडी

मृत्यु का कारण- आग्नेयास्त्र की चोट के कारण सदमा और रक्तस्राव।

मृत्यु के बाद से बीत चुका समय-24 घंटे के भीतर।

उस दिन सच्चिदानंद तिवारी के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया था और डॉक्टर को मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें मिली हैंः

(i) 1/2"x1/2" आकार का कटा हुआ घाव, जिसका मार्जिन उल्टा है तथा घाव के चारों ओर कालापन है, जो पीठ के बाईं ओर मध्य रेखा से 4" दूर तटीय मार्जिन के ठीक नीचे स्थित है। यह घाव सं. (ii) के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रवेश के घाव के नीचे विकृत है।

(ii) (ii) 2"x1" आकार का कटा हुआ घाव, जिसका मार्जिन उल्टा है, जो प्रवेश के घाव सं. (i) के साथ जुड़ा हुआ है, जो निकास के घाव के दाईं ओर मध्य अक्षीय रेखा पर दाएं उप-पोस्टल मार्जिन के 1" नीचे स्थित है।

<u>छाती के विच्छेदन पर</u>- बाएं फेफड़े का निचला भाग कटा हुआ है, हृदय के दोनों कक्ष खाली हैं, छाती गुहा में घाव तथा थक्के हैं।

<u>पेट के विच्छेदन पर</u>-यकृत कटा हुआ है, गुहा में रक्त, प्लीहा, गुर्दे, यकृत पीला होता है। पेट खाली है। मूत्राशय-मूत्र की कमी

<u>मृत्यु का कारण</u>- आग्नेयास्त्र की चोट के कारण सदमा और रक्तस्राव।

मृत्यु के बाद से बीत चुका समय-24 घंटे के भीतर।

उसी दिन डॉक्टर ने जितेंद्र @मिंटू तिवारी के शव का *पोस्टमार्टम* किया और पाया कि निम्न *पूर्व-मृत्यु* चोटें पाईं:

(i) 1/2"x1/3" आकार का कटा हुआ घाव, जिसका मार्जिन उल्टा है और संचारित घाव सं. (ii) के चारों ओर कालापन है, जैसा कि नीचे वर्णित है, यह प्रवेश के सीने के घाव के बाईं ओर (सुपाठ्य नहीं) अक्षीय रेखा पर द्वितीय इंटरकोस्टल स्थान पर स्थित है।

(ii) घाव सं. (i) के साथ संचारित होने वाले उल्टे मार्जिन के साथ 1.5"x3/4" आकार का कटा हुआ घाव, जो दाएं स्कैपुला के निचले हिस्से (सुपाठ्य नहीं) से 4" नीचे और पीछे के निकास के घाव के दाईं ओर मध्य रेखा से 3" दूर स्थित है।

छाती के विच्छेदन पर- छाती की दीवार की मांसपेशी बाईं ओर, घाव सं. (i) छाती गुहा के चारों ओर रक्तस्राव रक्त है, बाएं और दाएं फेफड़े क्षतिग्रस्त हैं, हृदय के दोनों कक्ष खाली हैं।

पेट के विच्छेदन पर-यकृत, प्लीहा, गुर्दा पीला। पेट खाली, मूत्राशय- खाली

मृत्यु का कारण-आग्नेयास्त्र की चोट के कारण सदमा और रक्तस्राव।

मृत्यु के बाद से बीत चुका समय-24 घंटे के भीतर।

13.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि चारों अंगों में कठोरता थी। कठोर मृत्यु मृत्यु के छह घंटे बाद प्रकट होती है और बारह घंटे में पूरी होती है। सभी शवों को शाम 04:35 बजे पोस्टमार्टम के लिए प्राप्त किया गया था। वह मृतक को नहीं जानता था। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में आगे कहा गया है कि अगर कपड़े पहने व्यक्ति को गोली लगी हो, तो भी उसके घाव के चारों ओर कालापन हो जाता है।

14. अ.सा.-8, डॉ. रवि भूषण श्रीवास्तव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उन्हें बक्सर के सदर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन उन्होंने शाम 04:40 बजे बबन तिवारी के शव का *पोस्टमार्टम* किया। उन्होंने *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे प्रदर्श 12 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने

सचिदानंद तिवारी और जितेंद्र @मिंटू तिवारी की *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट पर भी अपने हस्ताक्षर किए जिन्हें प्रदर्श 12/1 और 12/2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

14.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मृत्यु-कठोरता मृत्यु के चार घंटे बाद दिखाई देती है। वह मृतक को पहले से नहीं जानता था।

15. अ.सा.-9, राम बिलास चौधरी इस मामले के जांच अधिकारी हैं और उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि उन्हें कृष्णा ब्रह्म पुलिस स्टेशन में एस. एच. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने स्वयं जाँच की ज़िम्मेदारी संभाली। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया है जैसा कि उनके मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में वर्णित है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा-2 में घटना के दूसरे घटनास्थल का वर्णन किया जहाँ गोलीबारी हुई थी। उन्हें बबन तिवारी का शव मिला था। जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और मुन्ना तिवारी घायल हो गए जिन्हें उप-मंडल अस्पताल, डुमरांव भेजा गया जहां जितेंद्र तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी की मृत्यु हो गई। गोलियाँ, खाली कारतुस, जैकेट और खून जब्त किया गया। उन्होंने सूचक का पुनः बयान दर्ज किया। उन्होंने अभिषेक तिवारी, अवध बिहारी तिवारी, मोहन तिवारी, मुन्ना तिवारी और संजय तिवारी के बयान भी दर्ज किए। उन्होंने आरोप पत्र सं.11-12, दिनांक 25.02.2012 के रूप में प्रस्तुत किया।

15.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसे के माध्यम से इस घटना के बारे में जानकारी अफवाह के माध्यम से मिली थी। उसने दिनांक 03.01.2012 को 09:05 बजे थाना डायरी में सूचना दर्ज की। अग्रेषित करने के बाद उन्होंने जाँच का कार्यभार संभाला। 11:00 बजे *फर्दबेयान* दर्ज किया गया। *फर्दबेयान* को राम अवतार यादव ने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने डायरी में मृतक की जाँच रिपोर्ट लिखी है। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने दिनांक 30.01.2012 को 09:05 बजे केस डायरी लिखना शुरू किया। जब

उन्होंने केस डायरी लिखना शुरू किया, तो उन्हें आरोपी का नाम नहीं पता था। वह दिनांक 30.01.2012 को 09:15 बजे ग्राम कठार पहुंचा। घटना स्थल अवधेश तिवारी ने 09:20 बजे दिखाया। जब्ती सूची 10:30 बजे तैयार की गई। मृतक की जाँच रिपोर्ट कठार गांव में तैयार की गई थी। इस मामले में डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया था। घटना का दूसरा स्थान भी डायरी में लिखा गया था। बबन तिवारी का शव वहां मिला और घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया। घटना स्थल पर गोलियां, खाली कारतुस और खून बिखरा हुआ था। उन्हें दीवार पर गोली का निशान मिला। डायरी के पैरा-29 से यह स्पष्ट है कि मृतक के कपड़े जब्त कर लिए गए थे। उन्होंने 31.01.2012 पर सी. जे. एम. से वारंट जारी करने का अनुरोध किया। उनके द्वारा पूरक केस डायरी भी लिखी गई थी। उन्होंने पूरक केस डायरी में सुरेन्द्र सिंह, श्री राम कामकर, चौकीदार पारस राम यादव व शिव बिहारी का बयान दर्ज किया है। उपरोक्त गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि विनोद सिंह इस घटना में शामिल नहीं थे। उन्हें उक्त घटना में विनोद सिंह और शंकर दयाल सिंह की संलिप्तता के बारे में पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने इस मुद्दे पर पूछताछ नहीं की और जांच का प्रभार एस. एच. ओ. सुधीर कुमार सिंह को सौंप दिया गया। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में आगे कहा गया है कि मोहन तिवारी ने उनके सामने यह नहीं कहा था कि शंकर दयाल सिंह ने कहा था कि सभी व्यक्तियों को मार डालो और वह दीवार के पास था। उन्होंने मुन्ना तिवारी का बयान 12.02.2012 को दर्ज किया है। मुन्ना तिवारी ने यह नहीं कहा था कि अवधेश तिवारी, अभिषेक तिवारी और अवध बिहारी तिवारी भी उनके साथ थे। उन्होंने अपने सामने यह नहीं कहा है कि आरोपी के परिवार की महिला सदस्य भी आरोपी के साथ थीं।अ भिषेक तिवारी ने यह नहीं कहा था कि वह दालान की सफाई कर रहे थे और अवधेश तिवारी, अवध बिहारी तिवारी दालान में मौजूद थे। अवध बिहारी तिवारी ने उनके सामने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों ने तेज सिंह के घर के पास गोलीबारी शुरू कर दी थी।

16. अ.सा.-10 ने एस. आई. राम बिलास चौधरी के लेखन और हस्ताक्षर की पहचान की है, जिन्होंने आरोप पत्र सं.11/2012 प्रस्तुत किया है, जिसे प्रदर्श 14 के रूप में चिह्नित किया गया है।

16.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि आरोप-पत्र उसकी मौजूदगी में नहीं लिखा गया था। उसे आरोप-पत्र की विषय-वस्तु की जानकारी नहीं है।

17. अ.सा.-11 ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि उसे घटना की तारीख और समय याद नहीं है। घटना 3-4 साल पहले सुबह 08:00 बजे हुई थी। वे दक्षिण में गाँव के बाहर स्थित एक मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। जब वह मंदिर में बैठे थे तो उन्होंने मिंटू तिवारी, बबन तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और मुन्ना तिवारी को देखा जो खाने जा रहे थे। तब तक शेखर सिंह, अभिषेक सिंह, अशोक सिंह और विनोद सिंह विभिन्न हथियारों से लैस होकर आए और गोलीबारी शुरू कर दी। शेखर ने मुन्ना को गोली मार दी। अभिषेक ने सच्चिदानंद और मिंटू को गोली मार दी। विनोद ने मुन्ना को गोली मार दी। अशोक ने उस पर मुट्ठी से हमला किया और उसके दांत टूट गए।

17.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसे गोलीबारी की सं. के बारे में याद नहीं है। वह प्रार्थना में व्यस्त था। यह घटना सुबह 8:00 बजे मंदिर में हुई। यह मंदिर उत्तर में गाँव से डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित है। घटना के समय दारोगोजी के सामने उनका बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और उन्होंने अवधेश तिवारी के आदेश पर गवाही दी है।

18. अ.सा.-12 वह डॉक्टर है जिसने संजय तिवारी का इलाज किया था और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिली थीं:

(i) दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सूजन।

(ii) निचले जबड़े का टूटा हुआ दांत।

(iii) सीने में दर्द

एम. आई. - दाहिने हाथ की कोहनी क्षेत्र पर पुराना निशान।

चोट की आयु-2 से 3 घंटे से अधिक।

18.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि रोगी 23.02.2012 को इलाज के लिए आया था। उसे दांत दर्द या सीने में दर्द के बारे में याद नहीं है।

19. अ.सा.-13 डॉ. संजय कुमार हैं, जिन्होंने घायल मुन्ना तिवारी का इलाज किया है और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई हैंः

(i) बाईं जांघ पर सूजन और छिद्रित घाव और घाव के चारों ओर 1/2"x1/2" का रंग चमकीला था मरीज को बक्सर के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

चोट की आयु-1 से 4 घंटे के भीतर।

इस्तेमाल किया गया हथियार-बंदूक से गोली चलाई गई

19.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने चोट की रिपोर्ट में घाव का सही स्थान नहीं बताया है। उन्होंने प्रवेश के घाव और निकास के घाव को नहीं लिखा। चोट की उम्र का आधार नहीं लिखा है। चोट के बारे में राय सुरक्षित रखी गई है। घाव सतही है और यदि कोई जोखिम उठाता है, तो यह संभव हो सकता है। यह आगे कहा गया है कि एक तेज हथियार से छेद किया हुआ घाव संभव है। चोट प्रकृति में सरल है।

20. अ.सा.-14 एक औपचारिक गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में एफएसएल के अधिकारियों की रिपोर्ट और हस्ताक्षरों की पहचान की है।

21. अ.सा.-15 ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि वह 30.01.2012 को गाँव में मौजूद था। उस दिन उन्होंने सुना कि राजपूतों ने गोलीबारी की और गोली लगने से तीन बाबाजी की मौत हो गई।

21.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में बताया है कि मंदिर पर गोलीबारी हुई थी। उसने सुना है कि घटना वाले दिन विनोद सिंह अपने ससुराल में मौजूद था।

22. प्र.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना साढ़े तीन साल पहले सुबह 05:30 बजे हुई थी। यह घटना गाँव के बाहर स्थित शिवाला में हुई। यह भी बयान दिया गया है कि शंकर दयाल सिंह और उनका परिवार इस घटना में शामिल नहीं हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। विनोद सिंह बलुआ में स्थित अपने ससुराल में मौजूद थे। शंकर दयाल सिंह की आयु लगभग 88-90 वर्ष है।

22.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह घटना के बाद घटना स्थल पर गया था। उन्होंने तीन शव देखे और किसी को घायल नहीं देखा। शवों को शिवाला में देखा गया।

23. प्र.सा.-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना साढ़े तीन साल पहले सुबह 05:30 बजे हुई थी। यह घटना गाँव के बाहर स्थित शिवाला में हुई। शंकर दयाल सिंह और उनका परिवार इस घटना में शामिल नहीं हैं। वह विनोद सिंह को जानते हैं। घटना के दिन विनोद सिंह बलुआ में स्थित अपने ससुराल में मौजूद थे। शंकर दयाल सिंह की आयु लगभग 90-95 वर्ष है।

23.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि मंदिर में साढ़े तीन साल पहले हत्या हुई थी। मिंटू तिवारी, बबन तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी मारे गए थे। कोई घायल नहीं हुआ।

24. प्र.सा.-3 ने अपने मुख्य परीक्षण के सामने बयान दिया है कि वह कठार के विनोद सिंह को जानता है। गाँव बलुआ में विनोद सिंह का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद विनोद सिंह अपने परिवार के साथ बलुआ में रहते थे। यह भी बयान दिया गया है कि 03.01.2012 को विनोद सिंह उसके साथ बलुआ में मौजूद था।

24.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि विनोद सिंह का ससुराल उनके घर के सामने स्थित है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने विनोद सिंह के आदेश पर झूठी गवाही दी है।

25. प्र.सा.-4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना साढ़े तीन साल पहले सुबह 05:30 बजे हुई थी। यह घटना गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर के पास हुई। शंकर दयाल सिंह और उनका परिवार उक्त घटना में शामिल हैं और वे निर्दोष हैं। घटना के दिन विनोद सिंह गाँव कठार में मौजूद नहीं थे, बल्कि वे अपने परिवार के साथ गाँव बलुआ में थे। शंकर दयाल सिंह की आयु लगभग 90 वर्ष है।

25.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह घटना 30.01.2012 को हुई थी। वह अपने दरवाजे पर मौजूद था। उन्हें गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई दी। उन्होंने मंटू तिवारी, बबन तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी के शव देखे। मृतक का घर घटना स्थल से 600 मीटर की दूरी पर स्थित था।

26. प्र.सा.-5 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि वह कठार गांव के विनोद सिंह को जानता है। उसकी शादी बलुआ गांव में हुई थी। विनोद सिंह अपने परिवार के साथ बलुआ में रहते थे। 30.01.2012 को, वह गाँव बलुआ में मौजूद थे।

26.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसे नहीं पता कि विनोद सिंह हथियार रखता है या नहीं। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने झूठी गवाही दी है क्योंकि विनोद सिंह का ससुराल उसके गांव में है।

27. न्या.सा.-1, सुधीर कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर 28.01.2013 को राम बिलास चौधरी से जाँच का कार्यभार संभाला है। उन्होंने कई गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों के बयानों से यह पता चला है कि विनोद सिंह, शंकर दयाल सिंह की पत्नी, शंकर दयाल सिंह की पत्नी, विनोद सिंह की पत्नी और चंद्रशेखर सिंह की पत्नी इस मामले में शामिल नहीं हैं और उन्होंने उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ 30.04.2013 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

27.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि 30.04.2013 को, उसने अदालत में अपील दायर किया कि शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह के खिलाफ पहले प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र सं.11/2012, दिनांक 25.02.2012, स्वीकार न किया जाए, जिसे प्रदर्श A के रूप में चिह्नित किया गया था।

निष्कर्ष

28. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त सुसंगत साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर भी विचार किया है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि कथित घटना दिनांक 30.01.2012 को प्रातः लगभग 08:00 बजे घटित हुई थी, जिसके लिए अवधेश तिवारी (अ.सा.-6) का *फरदबेयान* प्रातः 11:00 बजे दर्ज किया गया। यह सूचक (अ.सा.-6) का विशिष्ट मामला है कि आरोपी सूचक के घर आया और घर के दरवाजे पर, आरोपी ने राइफल और पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दी जो वे ले जा रहे थे। उक्त

घटना में बबन तिवारी, मिंटू तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और मुन्ना तिवारी को गोली लगी, जिनमें से बबन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिंटू तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और मुन्ना तिवारी को अस्पताल भेज दिया गया। फरदबेयान में सूचक का यह और मामला है कि मिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी की मृत्यु हो गई, जबकि मुन्ना तिवारी को आगे के इलाज के लिए सदर अस्पताल, बक्सर ले जाया गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि फ़र्दबेयान में, सूचक ने विशेष रूप से कहा है कि लगभग 08:00 बजे घटना के दिन सुबह उनके भतीजे संजय तिवारी (अ.सा.-11) शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। आरोपी उक्त स्थान पर गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद आरोपी अपने घर गए और एक बार फिर सूचक के घर आए।

28.1. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने मुन्ना तिवारी और संजय कुमार तिवारी (अ.सा.-11) को घायल गवाहों के रूप में पेश किया है। इस प्रकार, हम घायल गवाहों द्वारा दिए गए बयान की जांच करना चाहेंगे।

28.2. अ.सा.-3, मुन्ना तिवारी ने मुख्य परीक्षण में गवाही दी है कि सभी आरोपी पिस्तौल और लाठी के साथ घटना स्थल पर आए थे। आरोपी शेखर सिंह ने बबन तिवारी को गोली मार दी। अभिषेक सिंह ने पिंटू तिवारी और सच्चिदानंद तिवारी को गोली मार दी। जब विनोद सिंह ने उन्हें गोली मारी तो गोली उनकी जांघ में लग गई ।विनोद सिंह ने मोहनजी तिवारी पर भी गोली चलाई, लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी। यह अ.सा.-3 का विशिष्ट मामला है कि अपीलार्थी विनोद सिंह ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और गोली उनकी जांघ पर लगी। उन्होंने आगे बयान दिया है कि पुलिस ने अस्पताल में उनका बयान दर्ज किया, हालांकि जिरह के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि किस अस्पताल में पुलिस ने उनका बयान लिया है। इस स्तर पर, यह भी देखना आवश्यक है कि पैरा-1 में, अ.सा.-3 ने कहा है कि वह

और परिवार के अन्य सदस्य घर की सफाई कर रहे थे क्योंकि परिवार में शादी थी। उस समय संजय साधु ने आकर बताया कि अशोक सिंह ने उसे पीटा है, उसके दांत टूट गए हैं और खून बह रहा है और उसके बाद अ.सा.-3 के पिता ने साधुजी (संजय कुमार तिवारी) को इलाज/दवा के लिए 200/- रुपये दिए और उसके बाद संजय उक्त स्थान से चले गए। एक बार फिर उन्होंने घर की सफाई शुरू कर दी और जब वे जननी किता के पास थे, तो सभी आरोपी हथियारों के साथ आए और उसके बाद, जैसा कि उन्होंने बताया, घटना हुई।

28.3. इस स्तर पर, हम अ.सा.-13, डॉ. संजय कुमार द्वारा दिए गए बयान की जांच करना चाहेंगे, जिन्होंने अ.सा.-3 का इलाज किया था। डॉक्टर ने पाया कि बाईं जांघ पर सूजन और छिद्रित घाव है। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि नुकीले हथियार से घाव हो सकता है और उसने अपनी चोट की रिपोर्ट में प्रवेश के घाव और निकासी घाव का उल्लेख नहीं किया था। यहां तक कि अ.सा.-3 के शरीर से पाए गए छर्रा/गोली के संबंध में भी कोई संदर्भ नहीं है।

28.4. इस स्तर पर, हम अ.सा.-6, अवधेश तिवारी द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख करना चाहेंगे। उक्त गवाह ने विशेष रूप से मुख्य परीक्षण में कहा है कि विनोद सिंह (अपीलार्थी) ने मुन्ना तिवारी को गोली मारी और गोली अ.सा.-3 की दाहिनी जांघ में लगी।

28.5. इस स्तर पर हम जांच अधिकारी अ.सा.-9 द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख करेंगे। उक्त गवाह के बयान से यह पता चलता है कि उसकी जिरह के पैरा-31 में, उसने विशेष रूप से कहा कि उसने मुन्ना तिवारी (अ.सा.-3) का बयान अ.सा.-3 के घर पर 12.02.2012 को दर्ज किया। जाँच अधिकारी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मुन्ना तिवारी ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि अभियुक्तों के परिवार की महिला सदस्य गंदी भाषा का उपयोग कर रही थीं और ईंटें फेंक रही थीं।

28.6. इस स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि जांच अधिकारी अ.सा.-9 ने विशेष रूप से अपनी जिरह के पैरा-27 में स्वीकार किया कि पूरक केस डायरी उनके द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने सुरेंद्र सिंह, श्री राम कमर, चौकीदार पारस राम यादव और शिव बिहारी के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान से यह पता चला है कि आरोपी विनोद सिंह विचाराधीन घटना में शामिल नहीं है। इसी तरह, न्या.सा.-1, सुधीर कुमार सिंह ने विशेष रूप से अदालत के समक्ष गवाही दी है कि उन्होंने उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश के आधार पर राम बिलास चौधरी (अ.सा.-9) से जांच का प्रभार संभाला था और अपनी जांच के दौरान, उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह कथित घटना में शामिल हैं। इसके अलावा, उन्हें शंकर दयाल सिंह की पत्नी, विनोद सिंह की पत्नी, चंद्रशेखर सिंह की पत्नी को जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला और इसलिए, उन्होंने 30.04.2013 को अंतिम रिपोर्ट दायर की।

28.7. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि अ.सा.-3 और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास, संशोधन, विसंगतियां हैं। इस प्रकार, केवल तथाकथित घायल गवाह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है।

28.8. इस स्तर पर हम एक अन्य घायल संजय कुमार तिवारी (अ.सा.11) द्वारा दिए गए बयान की जांच करना चाहेंगे। मुख्य परीक्षण में, अ.सा.-11 ने गवाही दी है कि वह शिव मंदिर में पूजा कर रहा था और अशोक सिंह (आरोपी) मंदिर में आया और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब वे मंदिर के पास बैठे थे तो मिंटू तिवारी, बबन तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी और मुन्ना तिवारी नाश्ते के लिए अपने घर जा रहे थे। उस समय, आरोपी हथियार लेकर घटना स्थल पर आया जिसमें बबन तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी, मिंटू तिवारी और

मुन्ना तिवारी को आग्नेयास्त्रों से चोटें आईं, जबकि आरोपी अशोक सिंह ने उक्त गवाह (अ.सा.-11) को मुट्ठी से मारा और उसका दांत टूट गया। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान आगे कहा कि उसे नहीं पता था कि मंदिर में कितने राउंड गोलीबारी हुई थी।

28.9 अ.सा.-11 को लगी चोट को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष ने अ.सा.-12, डॉ. राजेश कुमार सिंह से पूछताछ की, जिन्होंने कहा कि 23.02.2012 को वे अनुमंडलीय अस्पताल, डुमरांव में पदस्थापित थे और लगभग 01:30 बजे अपराह्न उन्होंने संजय तिवारी (अ.सा.-11) से पूछताछ की। उन्होंने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सूजन, निचले जबड़े के टूटे हुए दांत और सीने में दर्द पाया। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से उक्त गवाह ने कहा है कि चोट की उम्र 2 से 3 घंटे से अधिक है। जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि घायल 23.02.2012 को अस्पताल आया था और उसी दिन उसने चोट की रिपोर्ट दी थी।

28.10. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-3 सहित अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों ने गवाही दी है कि शुरू में अशोक सिंह और संजय तिवारी के बीच शिवाला (शिव मंदिर) में झगड़ा हुआ था और उक्त हाथापाई में संजय तिवारी का दांत टूट गया था और इसलिए, सच्चिदानंद तिवारी ने उसे इलाज के लिए 200 रुपये दिए थे और उसके बाद संजय तिवारी घर से चले गए और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के मामले के अनुसार, घटना सूचक (अ.सा.-6) के दरवाजे पर हुई थी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास, संशोधन और विसंगतियां हैं और इसलिए, अ.सा.-11 को घायल चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है और वह सच्चा या विश्वसनीय गवाह नहीं है।

29. हमने अन्य तथाकथित चश्मदीद गवाह, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं द्वारा दिए गए बयान की भी जांच की है। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता है

कि घटना के स्थान के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ है। प्राथमिकी के अनुसार, घटना सूचक (अ.सा.-6) के दरवाजे पर हुई जहां आरोपी व्यक्ति आए और गोलीबारी में शामिल हो गए, जबकि अ.सा.-2, मोहन तिवारी के अनुसार, घटना उनके दरवाजे से 10-12 मीटर की दूरी पर हुई। इसी तरह, अ.सा.-3, मुन्ना तिवारी ने अपने बयान के पैरा-1 में विशेष रूप से कहा है कि जब वह नाश्ता करने के लिए जननी किटा में गए थे, तो आरोपी व्यक्ति आए और उस स्थान पर घटना हुई। इस प्रकार, अ.सा.-3 के अनुसार, घटना का स्थान उनके घर की जननी किटा है। इस स्तर पर, यह भी देखा जाना आवश्यक है कि अ.सा.-4, अभिषेक तिवारी ने पैरा-1 में कहा है कि जब वे दलान से अवधेश तिवारी के घर पर नाश्ता करने जा रहे थे, तो आरोपी व्यक्ति आए और गोलीबारी करने लगे। अ.सा.-11, संजय कुमार तिवारी ने कहा कि जब वे मंदिर में बैठे थे, तो अन्य व्यक्ति उनके घर पर नाश्ता करने जा रहे थे और तब तक आरोपीगण आग्नेयास्त्र लेकर आ गए और गोली चला दी। इसी तरह, अ.सा.-15, शिव बिहारी राम ने पैरा-2 में कहा है कि शिवालय मंदिर में लगभग 05:00-06:00 बजे हुई और उस समय कोहरा था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के उपरोक्त बयान से, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष भी घटना के सटीक स्थान को साबित करने में विफल रहा है।

30. जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के सभी गवाह परिवार की एक शाखा से हैं और किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है, हालांकि जांच अधिकारी (अ.सा.-9) के बयान से पता चलता है कि कई स्वतंत्र गवाहों के घर के पास शव पाए गए थे। वास्तव में, अ.सा.-9 ने प्रतिपरीक्षा के पैरा-29 में स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल के पास रहने वाले लोगों का बयान दर्ज नहीं किया था।

31. इस स्तर पर, यह देखना आवश्यक है कि जांच अधिकारी, अ.सा.-9 द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि पूरक केस डायरी में, उन्होंने सुरेंद्र सिंह, श्री राम कमर,

चौकीदार पारस राम यादव और शिव बिहारी के बयान दर्ज किए थे और उपरोक्त व्यक्तियों के बयानों से यह पता चला कि विनोद सिंह विचाराधीन घटना में शामिल नहीं थे। इसी तरह, जैसा कि ऊपर देखा गया है, न्या.सा.-1, सुधीर कुमार सिंह, जिन्होंने आगे की जांच की थी, ने विशेष रूप से अदालत के समक्ष बयान दिया है कि आगे की जांच के दौरान, यह खुलासा हुआ कि आरोपी शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह के साथ-साथ उनके परिवार की महिला सदस्य कथित घटना में शामिल नहीं हैं और इसलिए, उन्होंने उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की। इस प्रकार, विचारण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए उपरोक्त साक्ष्य से यह पता चलता है कि हालांकि दो आरोपी, यानी विनोद सिंह और शंकर दयाल सिंह के साथ-साथ उनके परिवार की महिला सदस्य मौजूद नहीं थीं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। इस प्रकार, तथाकथित चश्मदीद गवाहों ने अदालत के समक्ष सही कहानी नहीं रखी है और इस तरह आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया है।

32. अब, सूचक के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलील यह है कि यदि अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थिति की दलील दी गई है, तो अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे साबित करना उसका कर्तव्य है और वर्तमान मामले में, उपरोक्त आरोपी कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे हैं जिससे यह कहा जा सके कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसकी रिपोर्ट **(2011) 6 एससीसी 288** में दी गई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-26 से 28 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> **"26.** केवल इसलिए कि गवाह मृतक व्यक्तियों से निकट संबंध रखते थे, उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी एक पक्ष के साथ उनका

रिश्ता गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इससे भी अधिक, एक रिश्ता वास्तविक अपराधी को नहीं छिपा सकता और एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता। एक पक्ष को एक तथ्यात्मक नींव रखनी होती है और अपने झूठे निहितार्थ के संबंध में त्रुटिहीन साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करना होता है। हालांकि, ऐसे मामलों में, अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूत का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय सबूत है। (दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1953) 2 एस. सी. सी. 36:आकाशवाणी 1953 एससी 364:1953 क्रि एल. जे. 1465], मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर 1965 एस. सी. 202:(1965) 1 क्रि एल. जे. 226], लेहना बनाम हरियाणा राज्य [(2002) 3 एस. सी. सी. 76:2002 एस. सी. सी. (क्रि) 526] और रिज़ान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2003) 2 एस. सी. सी. 661:2003 एस. सी. सी. (क्रि) 664]।

27. घायल गवाह अतर सिंह (अ.सा. 1) से पूछताछ की गई है, उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौके पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद, घायल गवाह की चिकित्सकीय जांच की गई थी। घायल गवाह से कड़ी जिरह की गई थी, लेकिन उसकी गवाही को अविश्वसनीय साबित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

28. जहां घटना का कोई गवाह स्वयं घटना में घायल हो गया है, ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा

> गवाह है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ घटनास्थल पर मौजूद होता है और यह संभावना कम होती है कि वह किसी और को झूठा फंसाने के लिए अपने असली हमलावर (हमलावरों) को बख्शेगा। "घायल गवाह को बदनाम करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है।" (यू. पी. राज्य बनाम किशन चंद [(2004) 7 एससीसी 629:2004 एस. सी. सी. (क्रि) 2021], कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य [(2006) 12 एस. सी. सी. 459:(2007) 2 एस. सी. सी. (क्रि) 214], दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य [(2008) 8 एस. सी. सी. 270:(2008) 3 एससीसी (सीआरआई) 472] , जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2009) 9 एससीसी 719:(2010) 1 एस. सी. सी. (क्रि) 107], विष्णु बनाम राजस्थान राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 477: (2010) 1 एससीसी क्रि) 303], अन्नारेड्डी सांबशिव रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 546: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 630:ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2661] और बलराज बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2010) 6 एस. सी. सी. 673: (2010) 3 एस. सी. सी. (क्रि) 211]।)"

33. हम उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकते। हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह केवल संबंधित अभियुक्तों द्वारा लिया गया बचाव नहीं है कि वे उपस्थित नहीं थे, जिसके बावजूद उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, बल्कि अ.सा.-9, जांच अधिकारी के सबूत हैं, जिन्होंने विशेष रूप से बयान दिया है कि आगे की जांच के दौरान, उन्होंने स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए थे जिनके नाम संदर्भित किए गए हैं, जिससे यह पता चला कि आरोपी विनोद सिंह विचाराधीन घटना में

शामिल नहीं थे। इसके अलावा, न्या.सा.-1, सुधीर कुमार सिंह, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, ने विचारण अदालत के समक्ष गवाही दी है कि जब उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें आगे की जांच सौंपी गई, तो यह पता चला कि विनोद सिंह और शंकर दयाल सिंह और उनके परिवार की महिला सदस्यों को गलत तरीके से फंसाया गया था और इसलिए, उन्होंने उनके पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दायर की। इस प्रकार, यह केवल अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ-साथ अदालत के गवाहों के बयान द्वारा समर्थित है। इसके अलावा, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किन परिस्थितियों में, तथाकथित दो घायल गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

34. इस स्तर पर, हम सूचक की ओर से लिए गए तर्क की जांच करना चाहेंगे कि जब अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा सभी अभियुक्तों के खिलाफ दायर आरोप-पत्र के आधार पर संज्ञान लिया गया है, संबंधित जांच अधिकारी (न्या.सा.-1) के लिए मामले की आगे की जांच करने और कुछ अभियुक्तों के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए छूट नहीं था। उपरोक्त तर्क की सराहना करने के लिए, हमने विचारण न्यायालय के अभिलेखों की जांच की है जिससे यह पता चलता है कि यद्यपि संबंधित मजिस्ट्रेट ने न्या.सा.-1 द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया था, फिर भी उक्त रिपोर्ट को फाइल के साथ रखा गया था क्योंकि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है कि न्या.सा.-1 द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश के अभाव में आगे की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्ति के संबंध में प्रश्न पर भी विचार किया जाना है।

35. राज्य, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से बनाम हेमेंद्र रेड्डी एवं अन्य [(2023) 7 एस. सी. आर. 134] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-64 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:

> "64. इस प्रकार, ऊपर उद्धृत विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि द.प्र.सं. की धारा 173 की उप धारा (8) आगे की जांच की अनुमति देती है, और यहां तक कि अदालत के किसी भी निर्देश के बावजूद, यह पुलिस के लिए उचित जांच करने के लिए छूट है, भले ही अदालत पहले प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले।"

36. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से, यह कहा जा सकता है कि यह पुलिस के लिए उचित जांच करने के लिए छूट है, भले ही अदालत पहले प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले। इसके अलावा, वर्तमान मामले के तथ्यों में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अ.सा.-9, जो पहले जांच अधिकारी थे, ने स्वयं पैरा-27 में कहा है कि पूरक मामले की डायरी में, उन्होंने विशेष रूप से कुछ व्यक्तियों के बयानों का उल्लेख किया है जो उन्होंने दर्ज किए थे जिनसे आरोपी विनोद सिंह की संलिप्तता को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, सूचक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।।

37. अभिलेखों के अवलोकन से यह पता चलता है कि जांच अधिकारी (अ.सा.-9) ने स्टेशन डायरी प्रविष्टि सं. 636 अदालत में विचारण के दौरान दिनांक 30.1.2012 प्रस्तुत नहीं की है, जो वर्तमान घटना के बारे में उन्हें प्राप्त सबसे पहला संस्करण था, लेकिन उन्होंने स्वीकार

किया है कि उक्त जानकारी में किसी भी आरोपी का नाम नहीं था। अ.सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह 30.1.2012 को 09:15 बजे कठार गांव में पहुंचा था और घायलों को डुमरांव अस्पताल भेजा था, लेकिन किसी भी घायल की पुलिस मांग अभिलेख पर नहीं लाई गई है। पैरा-12 में, जाँच अधिकारी (अ.सा.-9) ने कहा है कि 09:20 बजे अवधेश तिवारी (अ.सा.-6) ने उन्हें घटना का स्थान दिखाया और घटना के स्थान पर उन्हें कोई खून, छर्रा आदि नहीं मिला। उक्त गवाह ने आगे कहा है कि उन्होंने 10:30 बजे जब्ती सूची तैयार की तथा पैरा-15 में उन्होंने कहा है कि बबन तिवारी की जांच 10.30 बजे, जितेन्द्र की जांच 10.45 बजे तथा सचिदानंद तिवारी की जांच 11.00 बजे तैयार की गई तथा तीनों जांचों में क्रम सं. 1 पर उन्होंने अवधेश तिवारी के फर्दबेयान का उल्लेख किया है।

37.1. उपरोक्त तथ्य स्वयं यह दर्शाता है कि 10:30 बजे बाबन तिवारी के मृत्युपरीक्षण तैयार किए जाने से बहुत पूर्व, अवधेश तिवारी द्वारा *फर्दबेयान* दिया गया था, जिसे अभियोजन ने वर्तमान मामले में रोके रखा है।

37.2. अवधेश तवारी (अ.सा. -6) के बयान से, यह स्पष्ट है कि वह पूरे समय गांव में मौजूद रहा है और वह घायलों के साथ किसी अस्पताल नहीं गया है और इस प्रकार यह माना जा सकता है कि वह जांच अधिकारी से 9:15 बजे मिला था जब जांच अधिकारी घटनास्थल पर आए थे क्योंकि 9.20 बजे उसने जांच अधिकारी को घटनास्थल दिखाया था।

37.3.इसी तरह, जाँच अधिकारी (अ.सा.-9) के बयान से यह स्पष्ट होगा कि मोहन तिवारी (अ.सा.-2), मुन्ना तिवारी (अ.सा.-3), अभिषेक तिवारी (अ.सा.-4), अवध बिहारी तिवारी (अ.सा.-5) और अवधेश तिवारी (अ.सा.-6) सहित सभी गवाह गाँव में मौजूद थे और वे पुलिस अधिकारी से मिले होंगे।

37.4. पैरा-38 में मोहन तिवारी (अ.सा.-2) ने कहा है कि जब दारोगाजी आए तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें पहले किसने बयान दिया और जब तक दरोगा जी गांव में रहे, तब तक वे मौजूद थे और उनके अलावा उनके पिता (अ.सा.-5), उनके चाचा अवधेश तिवारी (अ.सा.-6), अभिषेक तिवारी (अ.सा.-4), राम शंकर तिवारी (जिनकी जांच नहीं की गई) मौजूद थे और घायलों को यादव लोग पड़ोसी द्वारा खाट पर ले गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब पुलिस 9.15 बजे गांव पहुंची तो वह पुलिस से मिला। पैरा-40 में अ.सा.-2 ने कहा है कि मृतक के आने से पहले, दारोगाजी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और बयान दर्ज किया था।

37.5. तथाकथित घायल मुन्ना तिवारी (अ.सा.-3) ने पैरा-2 में कहा है कि पुलिस ने अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया है। पैरा-6 में उन्होंने कहा कि वह अपना बयान देने से पहले या अस्पताल जाने से पहले पुलिस से नहीं मिले हैं। यह स्वयं यह दर्शाता है कि वह एक घायल व्यक्ति नहीं था जिसे अ.सा.-9 ने इलाज के लिए भेजा था। उन्होंने पैरा-6 में आगे कहा कि पटना पुलिस ने भी उनका बयान दर्ज किया है। जब वह गांव लौटा तो पुलिस ने उसका बयान भी दर्ज किया। अ.सा.-3 ने कहा है कि उसने पैरा-2 में अस्पताल में पुलिस को बयान दिया है। पैरा-6 में उन्होंने कहा कि उन्होंने पी. एम. सी. एच. में अपना बयान दिया और इन दोनों बयानों को अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया है और अ.सा.-9 ने कहा है कि उन्होंने उसके गाँव में अ.सा.-3 का बयान 12.2.2012 को दर्ज किया है।

37.6. पैरा-2 में अवध बिहारी तिवारी (अ.सा.-5) ने कहा है कि घटना की जानकारी ग्रामीण ने दी थी। पैरा-14 में, उक्त गवाह ने कहा है कि उसने पुलिस को सूचित नहीं किया है। उसके भाई ने पुलिस को सूचित करने की कोशिश की लेकिन वह यह नहीं बता सका कि उसके भाई की सूचना पर पुलिस आई या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय बाद

पुलिस आ गई। उन्होंने आगे कहा कि जब पुलिस पहुंची तो मुन्ना तिवारी (अ.सा.-3) गाँव में था।

37.7. पैरा-8 में अ.सा.-6 ने कहा है कि जब दारोगाजी पहुंचे, तो मृतक और घायल गाँव में थे। इसी तरह, पैरा-17 में उन्होंने कहा कि घटना के बाद दारोगाजी आए और देखा और रोते-बिलखते चले गए और घायलों को अस्पताल लाने वाले व्यक्तियों में से कोई भी वर्तमान मामले में गवाह नहीं है।

37.8. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान मामले में पुलिस को जो सबसे पहला बयान प्राप्त हुआ था, उसे अभियोजन पक्ष ने छुपा लिया है। इसी तरह, जब पुलिस प्रातः 09:05 बजे गांव में पहुंची, तो सूचक अवधेश या अन्य तथाकथित गवाहों, अर्थात अ.सा.-3,4 और 5 द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया है। जांच 30.01.2012 को प्रातः 09:05 बजे प्रारम्भ हो चुकी है। घटनास्थल का निरीक्षण प्रातः 09:10 बजे किया गया था और उस परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि गवाहों ने अपने बयान को दबा दिया है जो पुलिस को तब दिया गया था जब वे पहले पुलिस से मिले थे, लेकिन चूंकि वे बयान अभियोजन पक्ष के पक्ष में नहीं थे, इसलिए बाद में एक और फर्दबेयान दिया गया।

37.9. अ.सा.-2 के पैरा-40 से यह स्पष्ट है कि दारोगाजी ने जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं और ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है।

38. *पोस्टमॉर्टम* करने वाले अ.सा.-7, डॉ. भूपेंद्रनाथ ने कहा है कि उन्होंने प्रवेश के घाव के चारों ओर कालापन पाया और उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी 1-1.5 मीटर के भीतर की गई थी, जबकि लगभग सभी गवाहों ने कहा है कि गोलीबारी 8 से 15 मीटर की दूरी पर की गई थी। (अ.सा.-2, पैरा-32, अ.सा.-3, पैरा-12, अ.सा.-5, पैरा-11 और अ.सा.-6, पैरा-18)।

39. वर्तमान मामले में, अ.सा.-11 ने कहा है कि यह घटना शिवाला मंदिर के पास हुई थी जहाँ से वह भोजन करने के लिए आगे बढ़े थे। पैरा-2 में अ.सा.-15 ने कहा है कि घटना शिवाला में सुबह लगभग 05:00-06:00 बजे हुई, जब कोहरा था। इन दोनों गवाहों को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है और इस प्रकार उनका बयान अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है।

40. वर्तमान मामले में, *फरदबेयन* के साथ-साथ अ.सा.-2,3,4,5 और 6 द्वारा अदालत में दिए गए बयान में, उन्होंने कहा है कि लगभग 08:00 बजे संजय तिवारी (साधु) जो मंदिर में पूजा कर रहे थे, को अशोक सिंह द्वारा गाली दी गई, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई और झगड़ा समाप्त हो गया और दोनों अपने घरों में आ गए और विचारण में उन्होंने कहा कि साधूजी (संजय तिवारी) रोते हुए दालान आए और कहा कि उन पर हमला किया गया और उनके दांत टूट गए और उन्हें शरीर के किसी अन्य हिस्से में भी चोट लगी और उसके बाद सच्चिदानंद तिवारी ने उन्हें इलाज के लिए 200/- रुपए दिए गए और वह डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए और उसके बाद आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर दालान या घर आए और घटना को अंजाम दिया।

41. घटना की उत्पत्ति को संजय तिवारी (साधु) अ.सा.-11 के बयान से गलत साबित किया जा रहा है और उसने कथित तौर पर कहा कि जब मृतक मंदिर से खाना खाने के लिए निकला, तो ऐसी घटना हुई जिसमें मृतक और घायल व्यक्तियों को चोट लगी और उसके दांत और शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुँचाते हुए उस पर भी हमला किया गया। इस प्रकार, उनके बयान से यह स्पष्ट होगा कि मृतक और अ.सा.-11 पर एक ही समय में और एक ही लेन-देन में हमला किया गया था। अ.सा.-11 को कोई चोट नहीं लगी है या अभियोजन पक्ष डॉक्टर की झूठी चोट की रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम है, यह इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट है कि अ.सा.-12 अर्थात्

डॉ. राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि उन्होंने संजय कुमार तिवारी की जाँच 23.2.2012 को दोपहर 01:30 बजे जांच की थी तथा उसने आगे कहा कि चोट 2-3 घंटे के भीतर लगी थी और इस प्रकार अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। न्या.सा.-1, अर्थात् सुधीर कुमार सिंह ने विचारण के दौरान कहा है कि जांच के दौरान प्राथमिकी नामित आरोपी शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह (पैरा-3) के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है और विनोद सिंह और अन्य के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट 30.04.2013 को पेश की गई और आगे की जांच बंद कर दी गई। इस गवाह ने आगे कहा है कि 30.04.2013 को उसने अदालत में आवेदन दायर किया कि शंकर दयाल सिंह और विनोद सिंह के खिलाफ पहले पेश किया गया आरोप पत्र, आरोप पत्र सं. 11/2012, दिनांक 25.02.2012, स्वीकार नहीं किया जाए, जिसे प्रदर्श ए के रूप में चिह्नित किया गया था।

42. इस स्तर पर, हम सूचक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर भी विचार करना चाहेंगे कि यह मामला तिहरे हत्याकांड का है और इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान अपील खारिज कर दिया जाए।

42.1. **दिलावर हुसैन एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य** के मामले में, **(1991) 1 एससीसी 253** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-3 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> **3.** इन सब ने प्रस्तुतियों के दौरान थोड़ी भावना पैदा की। लेकिन संवेदनाएँ या भावनाएँ, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हों, न तो प्रासंगिक हैं और न ही अदालत में उनकी कोई जगह है। दोषमुक्ति या दोषसिद्धि अपराध-वैज्ञानिक श्रृंखला के प्रमाण पर निर्भर करती है, जिसमें हमेशा 'क्यों, कहाँ, कब, कैसे और कौन' शामिल होता है। दोष सिद्ध करने के लिए श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे साबित करना होता है। इसमें कोई भी दरार या ढील अभियोजन को कमजोर कर देती है। प्रत्येक कड़ी, इतनी सुसंगत होनी चाहिए कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकलना चाहिए

> वह यह है कि अभियुक्त दोषी है। हालांकि दोषी को बचना नहीं चाहिए (एसआईसी)। लेकिन विश्वसनीय साक्ष्य, सच्चे गवाहों और ईमानदार और निष्पक्ष जांच पर। किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को फंसाने या भावनाओं को शांत करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानव गरिमा के लिए घातक है और सामाजिक, नैतिक और कानूनी मानदंडों का विनाशकारी है। अपराध की जघन्यता या उसके निष्पादन में क्रूरता, चाहे वह कितनी भी घृणित और निंदनीय क्यों न हो, दोष तय करने में प्रतिबिंबित नहीं हो सकती।

43. उपरोक्त अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि संवेदनाएँ या भावनाएँ, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हों, न तो प्रासंगिक हैं और न ही अदालत में उनकी कोई जगह है। बरी या दोषसिद्धि अपराध-वैज्ञानिक श्रृंखला के प्रमाण पर निर्भर करती है, जिसमें हमेशा 'क्यों, कहाँ, कब, कैसे और कौन' शामिल होता है। दोष सिद्ध करने के लिए श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे साबित करना पड़ता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, जब अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है, हालाँकि यह तिहरे हत्याकांड का मामला है, हम दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को रद्द और अपास्त करके अपीलार्थीओं को दोषमुक्त करना चाहते हैं।

44. तदनुसार, अपीलार्थी सं. 1, अर्थात् अभिषेक सिंह के संबंध में आपराधिक अपील (डीबी) सं. 620/2016 को स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी सं. 2, अर्थात् शेखर सिंह @ चंद्रशेखर सिंह के संबंध में समाप्त की जाती है क्योंकि अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है।

44.1. 2016 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं.562 को समाप्त की जाती है क्योंकि एकमात्र अपीलार्थी, शंकर दयाल सिंह की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है।

44.2. आपराधिक अपील (डीबी) सं. 611/2016 को स्वीकार की जाती है।

44.3. ब्रह्मपुर थाना मामला सं. 38/2012 से उत्पन्न सत्र विचारण सं. 82/2012 (सीआईएस सं. 47/2015) में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V, बक्सर द्वारा पारित दिनांक 20.05.2016 को दोषसिद्धि का आरोपित सामान्य निर्णय और दिनांक 27.05.2016 को सजा का आदेश, एतद्द्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

44.4. अपीलार्थी अशोक सिंह और विनोद सिंह @ विनोद कुमार सिंह (2016 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 611 में) जमानत पर हैं। उन्हें उनके संबंधित जमानत-बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

44.5. चूंकि अपीलकर्ता, अर्थात अभिषेक सिंह (2016 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 620 में) जेल में है, उसे जेल हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।